न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

वादी :— बनाम प्रतिवादीगण :—

भंवरलाल पुत्र रूगनाथ जाट
सा. शिम्भुपुरा तह. नावां

1. रूपाराम पुत्र रूगनाथ जाट
   सा. शिम्भुपुरा तह. नावां
2. मैनेजर एस.बी.आई. बैंक शाखा मारोठ
3. तहसीलदार नावां

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा।
उपस्थित :— श्री हनुमानाराम वकील वादी
श्री श्रवणराम जाट वकील प्रतिवादी 1

मुकदमां नम्बर :—64 / 2019 निर्णय दिनांक :— 28.06.2019

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर भूमि में 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 2.90 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि पहले वादी व प्रतिवादी 1 के पिता स्व. रूगनाथ पुत्र चतरा की खातेदारी की भूमि रही हैं जिनके स्वर्गवास के बाद जरिये उत्तराधिकार में नामान्तकरण संख्या 283 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। जिसके अनुसार ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर भूमि में 1/6 हिस्सा वादी व 1/6 हिस्से में प्रतिवादी 1 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 2.90 हैक्टयर में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी 1 के नाम 1/2 हिस्से कीखातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं जिसके बाद वादी व प्रतिवादी 1 ने अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का मौके पर भौतिक रूप से बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर में दर्ज 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादी के हक हिस्से में तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 2.90 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 1के हक हिस्से में रखी गई जिसके बाद अपने अपने हक हिस्से की भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

काफी सुधार किया है। वादी व प्रतिवादी 1 के बिच में हुऐ भौतिक बंटवारे के अनुसार खातेदारी दर्ज करवाने की प्रतिवादी को कहने पर उसके द्वारा इंकार करने पर यह वाद पैदा हुआ हैं। वादी ने वाद पेश कर ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर में अंकित 1/6 हिस्सा वादी व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कुल 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण वादी की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 2.90 हैक्टयर भूमि में 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 1 की खातेदारी में घोषित किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.06.2019 को वादी व प्रतिवादी 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया हैं जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी 2, 3 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। साक्ष्य वादी में वादी व प्रतिवादी 1 के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं कर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने माफिक राजीनामा वाद का निर्णय किऐ जाने का निवेदन किया गया। जिस पर बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार वादी ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2069–72 पेश की हैं जिसमें ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर भूमि में रूगनाथ पुत्र चतरा जाति जाट सह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं जमाबन्दी में अंकित नोट के अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 283दिनांक 05.01.2016 के द्वारा रूगनाथ फौत होने पर जरिये विरासत भंवरलाल, रूपाराम पि. रूगनाथ के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 321 रकबा 2.90 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि रूगनाथ पुत्र चतरा के नाम दर्ज थी जिसमें भी जरिये विरासत खातेदारी व प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज रिकार्ड की गई हैं। जिसके बाद भूमि का सेग्रिकेशन होने पर नई जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 तैयार की गई जिसमें ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर भूमि में 1/6 हिस्से का वादी व 1/6 हिस्से का प्रतिवादी 1 कुल 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त राजस्व रिकार्ड से यह साबित होता हैं कि विवादित आराजीयत वादी व प्रतिवादी 1 की पैतृक सम्पति हैं तथा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। जिसका वादी व प्रतिवादी 1 ने मौके पर भौतिक रूप से

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

बंटवारा कर लिया हैं तथा अलग अलग काबिज काश्त हैं, जिसको वादी व प्रतिवादी 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर स्वीकार किया हैं, मौके पर हो रखे बंटवारे अनुसार वादी व प्रतिवादी 1 अपनी खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते हैं जिससे भविष्य में कोई विवाद इस आराजीयत को लेकर नहीं हो। जिसका वादी व प्रतिवादी 1 को कानूनी अधिकार हैं। राजीनामें में वादी के वाद में वर्णित इस्तदुआ को प्रतिवादी 1 ने अक्षरतः स्वीकार किया हैं तथा इसी माफिक खातेदारी दर्ज करने की इस्तदुआ की हैं। जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम ग्राम बाटलिया के खसरा नम्बर 308, 309, 310, 311, 312 कुल रकबा 11.24 हैक्टयर में वादी व प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज 1/6, 1/6 कुल 1/3 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर वादी को सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा खसरा नम्बर 321 रकबा 2.90 हैक्टयर में वादी की खातेदारी में दर्ज 1/2 हिस्से की खातेदारी से नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण 2.90 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय के अमल दारामद के बाद खातेदारी में दर्ज हिस्सा सम्बन्धित बैंक के रहन दर्ज किया जावे। तदनुसार खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)